पद कोड / Post Code : 🚺 🗍

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या / Number of Pages in Booklet: 32

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या /

Number of Questions in Booklet: 100

क्रम संख्या / SR. NO.



बुकलेट सीरीज

पूर्णाक / Maximum Marks : 100

समय / Time : 2.00 घटे / Hours

## INSTRUCTIONS

- I. Answer all questions.
- All questions carry equal marks.
- Only one answer is to be given for each question.
- 4. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
- 5. Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- 6. 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. (A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer,)
- The candidate should ensure that Series Code of the Question Paper Booklet and Answer Sheet must be same after opening the envelopes. In case they are different, a candidate must obtain another question paper of the same series. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.
- 8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
- 9. Please cirrectly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet, 5 marks will be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
- 10. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning: If a candidate is found copying or if any unauthorised material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted under Section 3 of the R.P.E. (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992. Commission may also debar him/her permanently from all future examinations of the Commission.

निर्देश

- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
- सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
- एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा ।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल प्याइंट पेन से गहरा करना है ।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
- प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के लिफाफे की सील खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रश्न-पत्र पुस्तिका पर वहीं सीरीज अंकित है जो उत्तर पत्रक पर अंकित है। इसमें कोई भिन्नता हो तो वीक्षक से प्रश्न-पत्र की ही सीरीज वाला दूसरा प्रश्न-पत्र का लिफाफा प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- मोबाईल फोन अथवा इलेक्ट्रोनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- कृपया अएना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानी पूर्वक सही भरें । गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांको में से अनिवार्य रूप से काटे जाएंगे।
- 10. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यांत्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।
- चेतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी और आर. पी. ई. (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के नियम 3 के तहत कार्यवाही की जायेगी। साय ही आयोग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली आयोग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

1	21 (1) (2) (3) (4)	of the In Chief Judge Govern Princip	idian Penal Minister and and Magis nment servital of Government	Code 18 and Prime trate ant appoint comment of the contract of	60 ? Minist nted o college	ter n dept	utation	÷	ng to section
			संहिता 1860	) की धारा	21 के	अनुसा	र निम्न भें	से कौन त	नोक सेवक
		है ?	<del>-1</del> =	<del>-:- 0</del>					
	(1)		त्री व प्रधान श व मैजिस्ट्रे				:		
	, ,					. 4			
			न पर नियुक् । महाविद्यालय			CI			
2			tion of the unishment					rinciple c	of "Expiatory
		Section		nas occii	meorp	(2)		71	
		Section						73 and	74
	भारत	ीय दण्डः	संहिता 1860	की कौन-	सी धार				रेवत सिद्धान्त"
	समाय	ग हुआ है	?						•
	(1)	<b>धारा</b> 7(	) में			(2)	धारा 71	में	
	(3)	<b>धारा</b> 75	5 में	٠,		(4)	<mark>धारा 7</mark> 3	व 74 में	٠
3	liabi (1) (3) भारत से स	lity unde Sectior Sectior ोय दण्ड म्बन्धित न	r Indian P 1 34, 35 an 1 141, 149, संहिता 1860	enal Code id 37 396, 460	e 1860 )	(2) (4)	Section Section	36 111, 117	constructive , 120B न्वयिक दायित्व
			1, 149, 39	6 460		(4)		l, 117, 12	) Oper
				•					
4	conf	ormity w Will no	of the control of the liable	imands of	the la	w, due	e to whic	h "C" die	or officer in es. Here "A" Penal
	(2)	Code 1 Will no Code 1	t to be lial	ole accord	ling to	section	on 79 of	the India	an Penal
	(3)		liable und	er section	304	of the	Indian F	Penal Cod	ie 1860
	` /		liable und						
									सैनिक ''अ''
. '	एक : यहाँ	शान्त भीड़ ''अ''	पर गोली च	लाता है जि	ाससे ''ः	स'' नाग	मक व्यक्ति	की मृत्यु	हो जाती हैं —
	(1)		दण्ड संहिता	1860 की	धारा 1	76 <del>के</del> उ	अनसार उद	तरदायी न	हीं होगा
	(2)	भारतीय	दण्ड संहिता	1860 की	धारा १	79 के व	५र उ अनसार स्व	स.चा तरहासी न	स लगा हीं होगा
	(3)	भारतीय	दण्ड संहिता	1860 की	धारा ः	 304 के		उत्तरदायी इ	र एक होसा
	(4)	भारतीय	दण्ड संहिता	1860 की	धारा ३	07 an	अनुसार व	रतारवामाः व स्तरदायीं ब	राम द्रीमा
HHE	H A				2	-,	3/11/	- 11 121 71 71	[Contd
		-							լասուս
					•				

- In which of the following offences the benefit of section 85 of the Indian Penal Code 1860 will not be given to the accused person, namely offences under?
  - (1) Section 323, 325, 340 and 355
  - (2) Section 272, 279, 292 and 294
  - (3) Section 312, 300, 376, 497, 498 and 361
  - (4) Section 295, 296, 297 and 298

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के निम्न में से कौन से अपराधों के लिए अभियुक्त को धारा 85 का लाभ नहीं दिया जायेगा ?

- (1) धारा 323, 325, 340 व 355
- (2) धारा 272, 279, 292 व 294
- (3) धारा 312, 300, 376, 497, 498 व 361
- (4) धारा 295, 296, 297 व 298
- In which of the following offences under Indian Penal Code 1860, the benefit of section 91 will not be given to the accused person?
  - (1) Section 360, 361, 366, 366(A)
  - (2) Section 312, 360, 361, 366, 497 and 498
  - (3) Section 497, 498 and 494
  - (4) Section 120(B), 124 and 160

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधों के सन्दर्भ में धारा 91 का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जायेगा ?

- (1) धारा 360, 361, 366, 366(ए) में
- (2) धारा 312, 360, 361, 366, 497 व 498 में
- (3) धारा 497, 498 व 494 में
- (4) धारा 120(ख़), 124 व 160 में
- 7 "A" young girl dies due to accident and her dead body was lying on the road side. "B" committes sexual intercourse with the body of "A" "B" in this case will -
  - (1) Not be liable for any offences under Indian Penal Code 1860
  - (2) Will be liable for the offence of rape under Indian Penal Code 1860
  - (3) Will be liable for rape as well as under section 297 of the Indian Penal Code 1860
  - (4) Will be liable under section 297 of the Indian Penal Code, 1860 ''अ'' एक जवान लड़की की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तथा उसका शब सड़क के किनारे एक कोने में पड़ा है । भावावेश में आकर ''ब'' उसके साथ शारीरिक सम्पर्क करता है । यहाँ ''ब'' –
  - भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है
  - (2) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन बलात्संग अपराध के लिए उत्तरदायी होगा
  - (3) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन बलात्संग तथा धारा 297 के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा
  - (4) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 297 के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा

- 8 "Culpable homicide" amounts to murder under section 300 of the Indian Penal Code, 1860 when ?
  - (1) An act is done with intention to cause death
  - (2) The act is done with intention to cause death
  - (3) Act is done with the knowledge to cause death
  - (4) Any act is done with intention to cause death भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 300 के अन्तर्गत ''अपराधिक मानववध'' का अपराध ''हत्या'' के अपराध में परिवर्तित हो जाता है
  - (1) जब मृत्यु करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है
  - (2) जब मृत्यु करने के आशय से वह कार्य किया जाता है
  - (3) जब मृत्यु करने के आशय से, इस ज्ञान से कि मृत्यु हो जायेगी, कार्य किया जाता है
  - (4) जब मृत्यु करने के आशय से कोई ऐसी बात करके, कोई कार्य किया जाता है
- A and B both were travelling on an aeroplane. When the aeroplane was flying at the height of 30,000 feets, A, forcibly throws B outside the aeroplane. Consequently "B" dies falling on the tree 'Here "A" will be liable under which section of the Indian Penal Code, 1860?
  - (1) Section 302

(2) Section 301

(3) Section 299

(4) Section 304(A)

''अ'' तथा ''ब'' एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे । जब हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ रहा था तब ''अ'' ने ''ब'' को हवाई जहाज से बाहर धक्का दे दिया। इसके फलस्वरूप ''ब'' एक पेड़ पर गिर गया तथा उसकी मृत्युं हो गयी । ''अ'' यहाँ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की किस धारा के अन्तर्गत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा?

(1) धारा 302 में

(2) धारा 301 **मे** 

(3) धारा 299 में

- (4) धारा 304(A) में
- A person may be responsible for the theft of his own property under section 379 of the Indian Penal Code 1860, when he has given his property to other as a -
  - (1) Bailment and use
  - (2) Gift and trust
  - (3) Security
  - (4) Bailment, gift, repair and use भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 379 में कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की चोरी के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है जब उसने वह सम्पत्ति अन्य को दी हो :
  - (1) निक्षेप व प्रयोग हेतु
  - (2) दान एवं न्यास के रूप में
  - (3) प्रतिभूति हेतु \*
  - (4) निक्षेप, दान, मरम्मत अवं प्रयोग हेतु

			. •
,			
		•	
11	punishable with the same committing the main offence	e punishment v	to commit offences is sometimes which has been prescribed for a sections it has been provided?
	(1) Section 388 and 389 (3) Section 397 and 398	(2)	Section 511
	भारताय दण्ड साहता 1860 म उ हेतु विहित दण्ड के बराबर ही दण् में है ?	पराध करने का प्र 'ड से दण्डित किया	यत्न भी कहीं कहीं मुख्य अपराध करने जाता है । ऐसा निम्न में से किस धारा
	(1) धारा 388 व 389 में	(2)	. SIDT 200 200 207 → 200 →
	(3) धारा 397 व 398 में	(4)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12	Which of the following offe	nces under India	an Penal Code 1860 relates with
	the mind, reputation, body	and property?	- Court of the control with
	(1) Cheating	(2)	·
	(3) Mischief	(4)	
	तथा सम्पत्ति से भी सम्बन्धित है	न म स कान-सा ग ?	ऐसा अपराध है जो शरीर, मन, ख्याति
	(1) छल का अपराध	(2)	अतिचार का अपराध
	(3) रिष्टि का अपराध	(4)	_
13	'A' cut down tree on B's lan	d with intention	to take away that tree without
	B's consent. A has committe	d the offence of	of
	(1) Criminal misappropriat		
	(2) Theft as soon as tree (3) No offence until the tr	was cut down a	nd severed from ground
	<ul><li>(3) No offence until the tr</li><li>(4) Criminal breach of tru</li></ul>	ee is taken awa	ıy
			नियत से पेड़ काटता है कि वह उसे
	दूर ले जाये । 'अ' ने अपराध वि	क्या है —	11411 (1 19 MICHI 6 14) 46 54
	(1) सम्पत्ति का आपराधिक दुवि		
			जमीन से अलग कर दिया .
	(3) कोई अपराध नहीं किया ज	ब तक वह पेड़ क	त्रे उठाकर ले नहीं जाता.
	(4) आपराधिक न्यास भंग		
14	'A' and 'B' agreed to commi	it theft in C's he	ouse but no theft was actually
-	committed. They have comm	itted the offenc	e of -
	<ul><li>(1) Criminal conspiracy</li><li>(3) Abetment by instigation</li></ul>	(2) n (4)	Abetment by conspiracy
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• ( <del>*)</del> रिकारने के लिये	No offence सहमत हो जाते है लेकिन वास्तव में
	चोरी करते नहीं है । उन्होंने अपर	ाध किया है	राज्याय हा जात- ह लाकन दास्तव म
•	(1) आपराधिक दुस्संधी	•	दुस्संधी द्वारा उत्प्रेरण
	(3) उकसावे द्वारा उत्प्रेरण	(4)	T
нни	HH_A]	5	[Contd
			{Contam
	1		٠

- Which one of the following statements correctly defines the offence of 'criminal breach of trust'?
  - (1) Whoever dishonestly misappropriates any property for his own use, is guilty of criminal breach of trust.
  - (2) Whoever uses any movable property in violation of law or legal contract commits criminal breach of trust.
  - (3) Whoever is entrusted with the dominion of property dishonestly converts it as his property is guilty of criminal breach of trust.
  - (4) Whoever willfully refuses to return property to the owner is guilty of criminal breach of trust.

निम्न में से कौन सा कथन आपराधिक न्यास, भंग के अपराध को सही तरीके से परिभाषित करता है

- (1) कोई भी व्यक्ति जो स्वयं के उपयोग के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है. आपराधिक न्यास भंग का दोषी है ।
- (2) कोई भी व्यक्ति जो चल सम्पत्ति का उपयोग विधि के अतिक्रमण अथवा वैधिक संविदा के अतिक्रमण में करता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी है।
- (3) कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सम्पत्ति को सौंपा गया है वह बेईमानी से उसे अपनी सम्पत्ति में बदल लेता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी है
- (4) कोई भी व्यक्ति किसी की सम्पत्ति वापस करने को मना करता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी है
- 16 'A' sees 'B' drowning, but does not save him. 'B' is drowned:

'A' has committed

- (1) The offence of abetment of suicide
- (2) The offence of murder
- (3) No offence
- (4) The offence of culpable homicide not amounting to murder
- 'अ' 'ब' को डुबूते हुए देखता है लेकिन उसे बचाता नहीं है । 'ब' डूब जाता है ।
- 'अ' ने कारित किया है . (1) आत्म हत्या के लिए उकसाने का अपराध
- (2). हत्या का अपराध
- (3) कोई अपराध नहीं किया
- (4) हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध
- 'A' with the intention of murdering 'B' instigates 'C', a lunatic to give poison to 'B', 'C' instead of giving it to 'B' takes poison himself. Here, in this case
  - (1) 'A' is not guilty as 'B' a lunatic cannot be an offender in the eyes
  - (2) 'A' is guilty of causing death of lunatic only.
  - (3) 'A' is guilty of abetment.
  - (4) None of the above
  - 'अ' 'ब' की हत्या की नियत से 'स', जो एक पागल है को; 'ब' को जहर देने के लिये उकसाता है । 'स' उसे 'ब' को देने के बजाय स्वयं जहर खा लेता है । यहाँ :
  - (1) 'अ' दोषी नहीं है क्योंकि 'ब' जो पागल है विधि की नजर में अपराधी नहीं हो सकता।
  - (2) 'अ' सिर्फ पागल व्यक्ति की हत्याकारित करने का दोषी है।
  - (3) 'अ' उकसाने का दोषी है।
  - (4) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

18	Under section 299 of Indian Pena	1 Code the	connection between the act and
	death caused must be -	(2)	Dianet
-	(1) Indirect (2) Path (1) and (2)	(2)	Direct None of the above
	(3) Both (1) and (2)		
	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के र सम्बन्ध होना चाहिये	तहत किय गय	काय आर मृत्यु कारित हान क बाप
	(1) अप्रत्यक्ष	(2)	प्रत्यक्ष
	(1) अप्रस्ति (1) और (2)	(4)	
	(3) दाना (1) जार (2)	(4)	उपराक्त न त काइ गरा
19	Sexual intercourse by a man with	his own wif	e is rape, if the wife is below
	(1) 16 years of age	(2)	
	(3) 19 years of age	(4)	15 years of age
	एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी से ि से कम है।	केया गया मैध्	<b>ग</b> बलात्कार है अगर पत्नी की उम्र
		. (0)	10 <del></del>
	(1) 16 वर्ष		18 वर्ष
•	(3) 19 वर्ष	(4)	15 वर्ष
20	The offence of "tresspass" unde	r the Indian	Penal Code 1860 basically is
	an offence against the -		
. '	(1) Ownership	(2)	
	(3) Reputation	• ,	Privacy and Possession
	भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन ' विरुद्ध किया गया कार्य है ?	'आतचार'' क	ा अपराध मुख्यतः ।नम्न म स ।कसक
	(1) स्वामित्व के विरुद्ध	(2)	कब्जे के विरुद्ध
	(3) ख्याति के विरुद्ध	(4)	
	(૩) હવાત એ 140હ	(4)	द्याराता द्य कळा क विरुद्ध
21	Which of the following characteri	stics is cons	sidered as the unique feature of
	the Code of Criminal Procedure		
	(1) Separation of executive from		
	(2) Accused person himself as	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	• •		ergone by the accused during
		_	e term of imprisonment imposed
	on him on such conviction (4) Speediar trial	•	
	(4) Speediar trial दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे उ	ਹਵਾਵਕ ਜ਼ੁਕੂਰ	न्त्रीय विशेषना रूस नियम में से किसे
	कहा जाता है ?	ત્યુત પ ખાર	व्याच विश्वास इंग मिन न स करते.
		YTSTALAL JIII	
	(1) कार्यपालिका का न्यायपालिका के	. <del>-</del>	
	(2) अभियुक्त स्वयं एक सक्षम साक्षी		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		दौरान दोषसिद्धि की तारीख से पहले
	भोगी गयी निरोध की अवधि का	दोषसिद्धि पर	अधिरोपित कारावास की अवधि के
	विरुद्ध मुजरा किया जाना ।		
	(4) शीघ्र विचारण।	•	
. 11111	•	7	[Contd
nn.	HH_A]	I	Conta

- A Magistrate of the first class may award a sentence of imprisonment under Code of Criminal Procedure, 1973 up to the period of
  - (1) three years according to section 29.
  - (2) three and half years according to section 30.
  - (3) four years according to section 31.
  - (4) six years according to section 31 cl (2) (b) प्रथम वर्ग मैजिस्टेट का न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्न में से कितनी कारावास की सजा दे सकता हैं ?
  - (1) धारा 29 के अनुसार 3 वर्ष तक की
  - (2) धारा 30 के अनुसार 3 वर्ष व 6 मास की
  - (3) धारा 31 के अनुसार 4 वर्ष की
  - (4) धारा 31 क्लॉज 2 परन्तुक (ख) के अनुसार 6 वर्ष की
- 23 "Even a "man" if necessary due to circumstances may arrest a "woman" during day-light". It was laid down in which of the following cases?
  - State of Maharashtra Vs. Christian Community Welfare Council, 2004
     SC and Raj Kumari Vs. S.H.O. NOIDA, 2003 SC.
  - (2) Joginder Singh Vs. State of U.P., 1994 SC.
  - (3) Neeraj Sharma Vs. State of U.P., 1993 SC.
  - (4) Raj Kumari Vs. S.H.O. NOIDA, 2003 SC.

''एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता हैं।' यह निम्न में से किस बाद में प्रतिपादित किया गया था ?

- (1) महाराष्ट्र राज्य ब. क्रिश्चयन कम्यूनिटी वेलफेयर कौसिल, 2004 सु.को. में तथा राजकुमारी ब. एस.एच.ओ. नोएडा, 2003 सु.को. में
- (2) जोगिन्दर सिंह ब. उ.प्र. 1994 सु.को. में
- (3) नीरज शर्मा ब. उ.प्र. 1993 सु.को. में
- (4) राजकुमारी ब. एस.एच.ओ. नोएडा, 2003 सु.को. में
- Now the identification parade of an arrested person may be conducted under
  - (1) Under section 9 of the Indian Evidence Act, 1872.
  - (2) Under section 54(A) of the Code of Criminal Procedure, 1973.
  - (3) Under section 157 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
  - (4) Under section 9 of the Evidence Act, 1872 with section 157 of the Code of Criminal Procedure 1973.

अब किसी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान की कार्यवाही निम्न में से किस विधि के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं ?

- (1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 के अनुसार
- (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54-क के अनुसार
- (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 के अनुसार
- (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 के अनुसार

HHHH\_A]

25 A 'Habitual offender' within the meaning of section 110 of the Code of Criminal Procedure 1973, is a person,

(1) Who has committed offences mentioned under section 110, and the record of commission of more than two offences is available against

him,

(2) Who habitually commits offences.

- (3) Who habitually remains in the company of persons who commits offences.
- (4) Who habitually deals with the persons who are habitual offenders. एक ''अभ्यासिक अपराधी'', धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा व्यक्ति होता है
- (1) जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तथा जिसके विरुद्ध में दो से अधिक अपराध किये जाने का अभिलेख उपलब्ध हो ।
- (2) जो अभ्यासतः अपराध करता है।
- (3) जो अभ्यासतः उन व्यक्तियों के साथ रहता जो अपराध करते हैं ।
- (4) जो उन व्यक्तियों से व्यवहार करता है जो अभ्यासतः अपराधी हैं।
- A "wife" is not entitled to get maintenance under section 125 of the Code of Criminal Procedure 1973, if she is

(1) living in adultery.

- (2) living separate on unreasonable grounds and on insufficient reasons.
- (3) refuses to live with her husband, and living separately by mutual consent.
- (4) living in adultery, living separate on insufficient grounds or by mutual consent or converted to other religion other than Hindu religion.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में एक पत्नी भरण पोषण का अधिकार नहीं रखती हैं यदि वह

- (1) जारता में रह रही हैं
- (2) अनुचित एवं अपर्याप्त कारणों के आधार पर पृथक रह रही हैं।
- (3) पति के साथ रहने से मना कर देती है तथा पारस्परिक सहमित से अलग रह रही है।
- (4) जारता में रह रही हो, पर्याप्त कारण के बिना पृथक रह रही हो या पारस्परिक सहमित से पृथक रह रही हो या हिन्दू धर्म को छोड़ कर अन्य धर्म में परिवर्तन कर लिया हो ।
- 27 "A First Information Report may be lodged by way of telephone also."
  It was laid down in which of the following case, namely
  - (1) Tapinder Singh Vs. State, 1970 S.C.
  - (2) Sakha Rao Vs. State, 1969 S.C.(3) Damodar Vs. State of Rajasthan, 2003 S.C.

(4) Sunil Vs. State, 1997 S.C.

''एक 'प्रथम इतिला सूचना' टेलीफोन से भी दर्ज करायी जा सकती है'' । यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गयी थी, मुख्यत ?

- (1) तपिन्दर सिंह बनांम राज्य, 1970 सु.को. में
- (2) सखाराव बनाम राज्य, 1969 सु.को. में
- (3) दामोदर बनाम राजस्थान राज्य, 2003 सु.को. में
- (4) सुनील बनाम राज्य, 1997 सु.को. में

[Contd...

28 The foundation of investigation under Code of Criminal Procedure 1973 is: Complaint **(1)**: Report or information by a third person for commission of offence (2)(3) First information report News paper's report (4)दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अन्वेषण की नींव निम्न में से किसे कहा जाता है ? परिवाद को (1)अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना या रिपोर्ट को जो अपराध के किये जाने के बारे में है। (2) प्रथम इतिला सूचना को। (3) सामाचार पत्र की सूचना को। Under section 160 of the Code of Criminal Procedure 1973, a woman witness may be called to give information of commission of a crime at other place than her residence also if it is necessary in the interest of justice and prior permission from magistrate has been taken in this regard. It was laid down in : (1)Kamlanatha Nath Vs. State of Tamil Nadu, 2005 S. C. (2)Ravi Vs. State of Bihar, 2007 S. C. Sidhartha Vs. State of Bihar, 2005 S. C. (3)(4) Ramesh Kumari Vs. State of Delhi 2006 S. C. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 160 में "एक स्त्री" को भी जिसे किसी अपराध के बारे में जानकारी है, उसके निवास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर बुलाकर परीक्षा की जा सकती है यदि मैजिस्ट्रेट से इस सन्दर्भ में पूर्वाज्ञा ले ली हो तथा ऐसा किया जाना न्याय के हित में आवश्यक हो, यह कहा गया था : कमलान्था नाथ बनाम तमिलनाडू राज्य 2005 सु.को में रवि बनाम बिहार राज्य, 2007 सु.को. में (2) सिद्धार्थ बनाम बिहार राज्य, 2005 सु.को. में (3) रमेश कुमारी बनाम दिल्ली राज्य 2006 सु.को. में Statements of any person may be recorded even at the stage of investigation by administering, oath of such person by the magistrate. Under which provision of the Code of Criminal Procedure, 1973. it has been provided: under section 161 (2)under section 164 clause (5) under section 162 (4)under section 273 किसी व्यक्ति के कथनों को मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसे शपथ दिलाकर अन्वेषण की दशा में भी अभिलिखित किया जा सकता है। ऐसा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि किस धारा में किया जासकता है ? धारा 161 के अन्तर्गत (2)धारा 164 क्लॉज (5) (3) धारा 162 के अन्तर्गत

(4)

10

HHHH\_A]

धारा 273 के अन्तर्गत

Contd...

- 31 For the purpose of section 167 of the Code of Criminal Procedure 1973, the most essential requirement is that the arrested person:
  - (1) Should not necessarily be produced physically for the first time.
  - (2) Should be produced first time through the medium of electronic video-linkage.
  - (3) Should be produced in person for the first time.
  - (4) Should be produced in person for the first time, and subsequently through the medium of electronic-Video-Linkage according the direction of Magistrate.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि धारा 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को

- (1) प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से सामान्यतः प्रस्तुत नहीं किया जाना।
- (2) प्रथम बार इलेक्ट्रोनिक विडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना।
- (3) प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना।
- (4) प्रथम बार व्यक्तिगत प्रस्तुत किया जाना तत्पश्चात् मैजिस्ट्रेट की इच्छानुसार इलेक्ट्रोनिक विडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना।
- 32 The police diary under section 172 of the code of criminal Procedure 1973 is used for which of the following things?
  - (1) for collection of evidences
  - (2) for recording of statements of witnesses
  - (3) for aid in enquiry or trial to the court
  - (4) for aid in investigation to the police.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि धारा 172 में पुलिस डायरी का उपयोग निम्न में से किस बात हेतु किया जा सकता है ?

- (1) साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए
- (2) साक्षीयों के बयानों को अभिलिखित करने के लिए
- (3) जाँच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए।
- (4) अन्वेषण में पुलिस की सहायता करने के लिए।
- 33 A Session Judge, during session trial, may judgement order acquittal of the accused person, even before pronouncing judgement under which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973
  - (1) Under section 227

(2) Under section 233.

(3) Under section 235

(4) Under section 232

सेशन विचारण में 'सेशन न्यायालय किसी अभियुक्त की दोषमुक्ति का आदेश, निर्णय सुनाये जाने से पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा के अन्तर्गत कर सकता है ?

(1) धारा 227 में

(2) धारा 233 में

(3) धारा 235 में

(4) धारा 232 में

- For application of the provision of plea-bargaining, under Code of Criminal Procedure, 1973 the most important thing which is required is that it should relate with the offences -
  - Punishable with less than 7 years imprisonment and accused should not be previously convicted.
  - Punishable with death but not against women. (2)
  - Punishable with life imprisonment but not against child below the age (3) of 14 years.
  - Punishable with death, life imprisonment, more than 7 years (4) imprisonment, against women, socio-economics conditions of the country, or child below 14 years.

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिभावक चर्चा के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि वह मामला संबंधित होना चाहिये ऐसे अपराधों से जो -

- 7 वर्षों से कम के कारावास से दण्डनीय हो व अभियुक्त प्रथम अपराधी हो।
- मृत्यु दण्ड से दण्डनीय हो किन्तु स्त्रियों के विरुद्ध न हो। **(2)**
- आजीवन कारावास से दण्डनीय हो किन्तु 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरूद्ध न हो।
- मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास, सात वर्षों से अधिक के कारावास, स्त्री, 14 वर्ष से (4) कम आयु के बालक, देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति के विरुद्ध न हो।

From Judicial custody" an accused person, may be given to police custody 35 up to 15 days according to which section of the Code of Criminal Procedure,

(1)Section 482

Section 167

(3)Section 386

Section 309 explanation - I (4)न्यायिक अभिरक्षा से किसी अभियुक्त व्यक्ति को 15 दिन तक की पुलिस अभिरक्षा में भी सौंपा जा सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि निम्न में से किस धारा के अधीन यह संभव है ?

(1)धारा 482 में

(2) धारा 167 में

धारा 386 में

(4) धारा 309 स्पष्टीकरण 1 में

For the purpose of enquiring or trying offences, a criminal court shall be 36 deemed to open court. But even a court in criminal cases are not treated as an open court under which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973.

(1)Section 327

(2)Section 326

Section 320

(4)

Section 319 अपराध की जाँच या विचारण के प्रयोजन से कोई भी दण्ड न्यायालय खुला न्यायालय समझा जायेगा। किन्तु अपराधिक न्यायालय होते हुए भी कब एक दण्ड न्यायालय खुला नहीं समझा जायेगा। यह निम्न में से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा में दिया हुआ है?

धारा 327 में

(2) धारा 326 में

(3) धारा 320 में

(4) धारा 319 में

- "Victim compensation scheme" under section 357-(A) of the Code of Criminal **37**c Procedure 1973, has been introduced by which of the following Amendment Act. ?
  - By the Act 25 of 2005 (1)

By the Act 5 of 2009 (2)

- By the Act 45 of 1978 (3)
- (4) By the Act 2 of 2006

''आहतं प्रतिकर योजना'' दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 (क) में किस संशोधन अधिनियम से जोडी गयी है ?

- एक्ट 25 के 2005 के संशोधन से
- (2) एक्ट 5 के 2009 संशोधन से
- (3) एक्ट 45 के 1978 संशोधन से
- (4) एक्ट 2 के 2006 संशोधन से
- Which of the following things "an appellate court, while disposing of an 38 appeal under Code of Criminal Procedure 1973, not empowered to do?
  - Can not enhance the punishment without providing an opportunity to the accused, to show cause against such enhancement.
  - Can not inflict greater punishment than the trial court was competent
  - Can not enhance the punishment, when an accused has preferred appeal against his enhanced punishment to is.
  - All of the above एक अपील न्यायालय को अपील का निस्तारण करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न में से कौन सा कार्य करने की शक्ति नहीं है ?
  - (1) दण्ड में वृद्धि नहीं कर सकता जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरूद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो।
  - उससे अधिक दण्ड नहीं दे सकता जो अपीलाधिन आदेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था।
  - (3) जल अभियुक्त ने दण्ड की अधिकता के विरुद्ध में अपील की है तो उसे और नहीं बढ़ाया जा सकता उसे, ज्यों को त्यों तो रख सकता है।
  - उपरोक्त सभी कार्य। (4)
  - Death sentence of an accused may be commuted to fine also by the appropriate government under which provision of law
    - under section 54 of the Indian Penal Code, 1860.
    - under article 72 and 161 of the Constitution. (2)
    - According to section 53 of the Indian Penal Code 1860 and section 433(A) of the Code of Criminal Procedure 1973.
    - under section 432 of the Code of Criminal Procedure 1973. (4) किसी अभियुक्त की मृत्यु दण्ड के कारावास की सजा को समुचित सरकार के द्वारा केवल जुर्माने में भी लघुकरण किया जा सकता है। यह किस विधि के प्रावधान के अनुसार किया जासकता है ?
    - भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 54 के अनुसार।
    - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 व 161 के अनुसार।
    - (3) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 53 व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 (क) के अनुसार
    - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के अनुसार

- While exercising inherent powers under section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973, even the High Court cannot do which of the following things:
  - (1) To give police-custody from judicial custody.
  - (2) To convert itself into a court of appeal when legislature has not authorized it expressly or indirectly.
  - (3) To review its own judgement or order
  - (4) All the above things.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अन्तर्गत प्रदत्त अर्न्तिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता ?

- न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा देने का
- (2) अपने आपको अपील न्यायलय में परिवर्तित नहीं कर सकता जब विधायिका ने उसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अधिकृत नहीं किया है
- (3) अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने का
- (4) उपरोक्त सभी
- Which of the following "Law" is considered as the basis of Indian Evidence Act 1872
  - (1) Law of place where act was done or offence was committed
  - (2) Law of the place where investigation or enquiry was conducted
  - (3) Law of the place where solution was found by the parties.
  - (4) Law of the place where proceedings have to be initiated in a case (Lex Fori).

निम्न में से कौन सी ''विधि'' को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है ?

- उस स्थान की विधि जिस स्थान पर कार्य किया गया या अपराध किया गया था।
- (2) उस स्थान की विधि जहाँ अन्वेषण या जाँच की गयी थी।
- (3) उस स्थान की विधि जहाँ पक्षों ने अपना समाधान ढूँढ़ा था।
- (4) उस स्थान की विधि जहाँ किसी मामले में कार्यवाहियाँ की जानी है (लेक्स फोरी)।
- 42 The term "Court" used under Indian Evidence Act 1872 includes -
  - (1) All judges but not magistrates.
  - (2) All magistrates but not judges.
  - (3) All judges, magistrates, persons except arbitrators, legally authorized to take evidence.
  - (4) All enquiry and investigation officers and arbitrators legally authorized to take evidence.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रयुक्त ''न्यायालय'' शब्द में सम्मिलित होते है

- (1) सभी न्यायाधीश किन्तु मैजिस्ट्रेट नहीं
- (2) सभी मैजिस्ट्रेट किन्तु न्यायाधीश नहीं
- (3) सभी न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट, व्यक्ति, मध्यस्थ को छोड़ कर जो साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं।
- (4) सभी अन्वेषण व जाँच अधिकारी व मध्यस्थ जो साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं।

- 43 Facts showing existence of state of mind or body or bodily feelings of a person are relevant under which of the following Acts?
  - (1) under section 280 of the Code of Criminal Procedure 1973.
  - (2) under order 18 Rule 12 of the Code of Civil Procedure 1908.
  - (3) under section 14 of the Indian Evidence Act, 1872.
  - (4) under all the above sections and Acts.

किसी व्यक्ति के मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य निम्न में से किस अधिनियम में सार्थक होते है ?

- (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 280 में
- (2) दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 12 में
- (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में
- (4) उपरोक्त सभी धाराओं व अधिनियमों में।
- Under section 13 of the Indian Evidence Act., 1872 "any transaction" or "particular instances" is relevant for explaining the existence of any right or custom, but not relevant for explaining the existence of a crime. This statement of law was laid down in:
  - (1) Gurdit Singh Vs Smt. Angrej Koer 1968 S.C.
  - (2) Suraj Mani Vs Durga Charan, 2001 S.C.
  - (3) Anandi Bai Vs Raja Ram, 1973 Raj.
  - (4) Shakuntla Vs Amar Nath, 1982 Punjab And Haryana भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 में "अधिकार" अथवा 'रूढ़ि' को स्पष्ट करने हेतु कोई ''सव्यवहार'' या ''विशिष्ट उदाहरण'' सुसंगत होते हैं किन्तु ये किसी अपराध के अस्तित्व के बारे में सुसंगत नहीं होते। यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था ?
  - (1) गुरूदीत सिंह बनाम श्रीमती अंग्रेज कोर, 1968 सु.को.में
  - (2) सूरजमनी बनाम दुर्गाचरण, 2001 सु.को. में
  - (3) आनन्दी बाई बनाम राजाराम, 1973 राज. में
  - (4) शकुन्तला बनाम अमरनाथ, 1982 पंजाब व हरियाणा में
- Which of the following case was decided on the basis of "tears from eyes" evidence of a women, namely?
  - (1) State of Rajasthan Vs Smt. Kanuri Devi, 1998 Rajasthan
  - (2) Shamim Rehmani Vs State of U.P., 1975 S.C.
  - (3) K.M. Nanawati Vs State of Maharashtra, 1961 S.C.
  - (4) Palvinder Koer Vs State of Punjab, 1952 S.C. निम्न में से कौन सा वाद केवल स्त्री की ''आँख के आँसुओं'' के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था ?
  - (1) राजस्थान राज्य *बनाम* श्रीमती कन् री देवी, 1998 राज. का
  - (2) शमीम रहमानी *बनाम* उ. प्र. राज्य, 1975 सु. को. का
  - (3) के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1961 सु. को. का
  - (4) पलविन्दर कौर *बनाम* पंजाब राज्य, 1952 सु. को. का

- An admission is relevant even in favour of the person who made it when it falls within the ambit of -
  - (1) Section 18 of the Indian Evidence Act, 1872.
  - (2) Section 31 of the Indian Evidence Act, 1872.
  - (3) Section 21 of the Indian Evidence Act, 1872.
  - (4) Section 20 of the Indian Evidence Act, 1872.
  - एक स्वीकृति, स्वीकृता की ओर से व उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृति
  - (1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 में आती है।
  - (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 31 में आती है।
  - (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 21 में आती है।
  - (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 20 में आती है।
- 47 "Extra judicial confession" has been provided under which of the following Act, namely ?
  - (1) under section 163 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
  - (2) under section 29 of the Indian Evidence Act, 1872.
  - (3) under section 281 of the Code of Criminal Procedure 1973.
  - (4) under section 30 of the Indian Evidence Act, 1872
  - ''न्यायेत्तर संस्वीकृति'' का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम में किया गया है ?
  - (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 163 में
  - (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 29 में
  - (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 281 में.
  - (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 में
- 48 The latest trend of courts regarding the admissibility and relevancy of Dying Declaration in India is that
  - (1) It must be recorded by the Magistrate under section 164 of the Code of Criminal Procedure 1973.
  - (2) It must be recorded before the police under section 162 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
  - (3) It should be corroborated from other evidences.
  - (4) It should be made before the magistrate under section 164 of the Code of Criminal Procedure 1973 and must be corroborated from other evidence too.
  - ''मृत्यु कालिक कथन'' की सुसंगतता के बारे में भारतीय न्यायालयों में आधुनिक विचारधारा यह है कि
  - यह धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन मैजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित की जानी चाहिये।
  - (2) यह धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में पुलिस के सामने अभिलिखित होनी चाहिये।
  - (3) यह अन्य साक्ष्यों से सन्तुष्ट होनी चाहिये
  - (4) यह धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में मैजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित तथा अन्य साक्ष्यों से सम्पुष्ट की जानी चाहिये।

- Since section 45 of the Indian Evidence Act, 1872 does not define, an "Expert". Hence, even a "Student" may also be treated as an expert. This view was laid down in
  - (1) Pyre singh Vs. State of Punjab 1977 S.C.
  - (2) Kanpur University Vs Dr. Samir Gupta and others, 1983 S.C.
  - (3) Mohd. Zahid Vs. State of U.P. 1999 S.C.
  - (4) Vishnu Vs State 2006 S.C. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 में ''विशेषज्ञ'' की परिभाषा नहीं दी गयी है। अतः एक ''विद्यार्थी'' भी विशेषज्ञ हो सकता है। यह विचारधारा निम्न में किस वाद में प्रतिवादित की गयी थी:
  - (1) प्यारे सिंह बनाम पंजाब राज्य 1977 सु. को. में
  - (2) कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता व अन्य, 1983 सु. को. में
  - (3) मो. जाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1999 सु. को. में
  - (4) विष्णु बनाम राज्य, 2006 सु. को. में
- 50 "Opinion of third person" is not relevant to prove which of the following offeneces of Indian Penal Code, 1860, namely -
  - (1) section 299, 495 and 498
- (2) section 300, 498 and 499
- (3) section 494,495,497 and 498 (4) section 399,499,300 and 498 ''अन्य व्यक्ति की राय'' भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधीं हेतु सुसंगत नहीं है ?
- (1) धारा 299, 495 व 498 में
- (2) धारा 300, 498 व 499 में
- (3) धारा 494,495,497 व 498 में
- (4) धारा 399,499,300 व 498 में
- 51 "It is the duty of the court to decide the 'case' not the "parties" because a noble man may commit a worst possible crime and a person of easy virtue may have a good cause of action". This statement relates with which provision of law?
  - (1) section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973
  - (2) section 52,53,54,55 of the Indian Evidence Act, 1872
  - (3) section 494, 497, 498 of the Indian Penal Code, 1860
  - (4) section 292,293,294 of the Indian Penal Code 1860
  - ''न्यायालयों'' का यह कर्तव्य है कि वे ''मामले'' को तय करें न कि पक्षों को, क्योंकि अच्छे से अच्छा व्यक्ति बुरे से बुरा कार्य कर सकता है तथा बुरे से बुरे व्यक्ति का अच्छे से अच्छा अधिकार हो सकता है''। यह कथन निम्न में से किस विधि की धारा से सम्बन्धित है ?
  - (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 से
  - (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 52,53,54 व 55 से
  - (3) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 494, 497, 498 से
  - (4) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 292, 293, 294 से

- Which of the following section is considered as the spinal cord of the civil litigation in India:
  - (1) section 105 of the Indian Evidence Act, 1872
  - (2) section 91 of the Indian Evidence Act, 1872
  - (3) section 92 provison 1 to 6 of the Indian Evidence Act, 1872
  - (4) section 104 of the Indian Evidence Act, 1872
  - निम्न में से किस धारा को भारत में दीवानी मामलों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ?
  - (1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 105 को
  - (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 को
  - (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 92 के 1 से 6 तक के परन्तुकों को
  - (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 104 को
- In which of the following cases the burden of proof of not committing the particular offences is on an accused person and not on the prosecution?
  - (1) Section 111 and 113 of the Indian Evidence act, 1872
  - (2) Section 111-A, 113-A. 113-B and 114-A of the Indian Evidence Act, 1872.
  - (3) Section 111A, 112 and 113-B of the Indian Evidence Act, 1872
  - (4) Section 111A and 113 A of the Indian Evidence Act, 1872. निम्न में से किस मामले में अपराध न किये जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है न कि अभियोजन पर ?
  - (1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 व धारा 113 में
  - (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111-ए, 113-ए, 113-बी तथा 114-ए में
  - (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111-ए, 112 व धारा 113-बी में
  - (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 ए व धारा 113 ए में।
- A child born even after "vasectomy operation" during continuance of valid marriage between the parties does not affect the legitimacy of the child and the doctor who performed such negligent operation is liable to pay damages to the parties. This view was laid down in
  - P.E.K. Kalyani Vs. K. Devi, 1996 S.C.
  - (2) Pawan Kumar Vs Mukesh Kumari, 2001 Raj.
  - (3) Mohd. Faroq Vs Dukhtar Jehan Begum, 1987 S.C.
  - (4) Santro Devi Vs State of Haryana, 2000 S.C.C.

"नसबन्दी के ऑपरेशन" के बाद भी उत्पन्न सन्तान जो पक्षों के बीच मे वैध विवाह के दौरान उत्पन्न हुआ है, उसकी धर्मजता को प्रभावित नहीं करता तथा वह डॉक्टर जिसने उपेक्षापूर्ण ऑपरेशन किया था, पक्षों को क्षिति देने के लिए उत्तरदायी होगा। यह विचारधारा निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गयी थी ?

- (1) पी. ई. के. कल्याणी बनाम के देवी, 1996 सु. को. में
- (2) पवन कुमार बनाम मुकेश कुमारी, 2001 राज. में
- (3) मो. फारुखं बनाम दुख्तर जान बेगम, 1987 सु. को. में
- (4) सन्तरो देवी बनाम हरियाणा राज्य 2000 सु.को. के में

- Every relevant fact is not necessarily a admissible fact, but every admissible fact is essentially a relevant fact. In which of the following sections of the Indian Evidence Act, 1872, a fact is not admissible, namely -
  - (1) under section 6 to 55 of the Indian Evidence Act, 1872.
  - (2) section 130, 131, 132 of the Indian Evidence Act, 1872.
  - (3) section 126 to 129 of the Indian Evidence Act, 1872.
  - (4) section 121 to 129 of the Indian Evidence Act, 1872. प्रत्येक सुसंगत तथ्य एक ग्राह्म तथ्य नहीं होता किन्तु प्रत्येक ग्राह्म तथ्य एक सुसंगत तथ्य होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किन धाराओं में तथ्य ग्राह्म नहीं हैं—
  - (1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 से 55 में।
  - (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 130.131 व 132 में।
  - (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 से 129 में।
  - (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 121 से 129 में।
- 56 Section 122 of the Indain Evidence Act, 1872 covers -
  - (1) Offeneces between husband and wife during continuance of their marriage.
  - (2) marital communications during their marriage.
  - (3) Any communication relating to any matter given in any manner during their marriage.
  - (4) confidential and legal communications during their marriage.

धारा 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सम्मिलित होते है : -

- (1) पक्षों के बीच विवाहित स्थिति के दौरान किये गये अपराधिक कार्य।
- (2) पक्षों के बीच विवाहित स्थिति में दी गयी पारिवारिक ससूचनायें।
- (3) कोई भी सस्चना, जो किसी भी विषय से सम्बन्धित हो, तथा किसी भी प्रकार की हो, विवाहित स्थिति में दिया जाना।
- (4) पक्षों के बीच वैश्वासिक व वैध सूचनायें उनकी विवाहित स्थिति के दौरान।
- A witness cannot be converted into an accused person, though may be compelled to answer questions relating to an offence. Under which section of the Indain Evidence Act, 1872, this immunity is granted to a witness?
  - (1) under section 148

(2) under section 163.

(3) under section 131

(4) under section 132

एक साक्षी को अभियुक्त के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है। यद्यपि उससे अपराध के सन्दर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते है। यह विशेषाधिकार उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन-सी धाराओं में प्राप्त है।

(1) धारा 148 में

(2) धारा 163 में

(3) धारा 131 में

(4) धारा 132 में

58	Under what provision of the Evidence Act, 1872 can oral exprove matters in writing, be given during examination of with	vidence as to
	(1) section 65 cl(1) (2) section 114 illustration (g) and (h)	······································
	(3) section 66 (4) section 144	
	लेखबद्ध विषयों के बारे में मौखिक साक्ष्य, साक्षियों की परीक्षा के दौरान.	भारतीय साक्ष्य
	अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार दिया सा सकेगा ?	
	(1) धारा 65 क्लाज 1 के अनुसार	
	<ul><li>(2) धारा 114 दृष्टान्त (जी) व (एच) के अनुसार</li><li>(3) धारा 66 के अनुसार।</li></ul>	
	(4) धारा 144 के अनुसार।	
59	To reach at a proper conclusion and for proof of relevant fact, coany question, in any form, at any time to any person or wit power is conferred to the court under which section of the Indi Act, 1872	nesses This
	(1) Section 135 and 136 (2) Section 165 (3) Section 148 (4) Section 137	
, .	न्यायालय उचित निष्कर्ष पर पहुंचने तथा सुसंगत तथ्यों का उचित सबत पाप	करने के लिए
	किसा भा सीक्षा से किसी रूप में किसी भी समय कोई भी पश्न पाठ सकत	। है। भारतीय
	साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान (1) धारा 135 में व धारा 136 में (2) धारा 165 में	की गयी है:
	(1) धारा 135 म व धारा 136 में (2) धारा 165 में (3) धारा 148 में (4) धारा 137 में	
60		
00	Section 107 of Indian Evidence Act, 1872, provides for presumption (1) Life (2) Death	on regarding
	(3) Longevity (4) Legitimacy	
	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107 किस सम्बन्ध में उपधारण करती है ?	िका प्रावधान
•	(1) जीवन (2) मृत्यु	
	(3) दीर्घायु (4) धर्मजत्व।	
61	Every doctor is not responsible under section 304(A) of the In Code 1860, for death of a person due to his negligent operation intention is culpable. This has been laid down in (1) Gyanendar Vs. State, 1972 S.C.	ndian Penal n unless his
	(2) Sarveswar Parsad Sharma Vs. State, 1978 S.C.	
	<ul><li>(3) Jacob Mathew Vs. State of Punjab, 2005 S.C.</li><li>(4) Munna Vs. State, 2005 S.C.</li></ul>	
	प्रत्येक डॉक्टर को उसके द्वारा उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किये गये किर	भी व्यक्ति के
	जापरशन स मृत्यु पर, धारा 304(A) भारतीय दण्ड सहिता 1860 में क	सरहासी जहीं
	ेहराया जो सकता जब तक उसका आशय अपराधिक न हो। यह प्रतिपादित हि	म्या गया थाः
	(1) ज्ञानेन्द्र <i>बनाम</i> राज्य, 1972 सु.को. में। (2) सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा <i>बनाम</i> राज्य, 1978 सु.को. में।	
	(3) जेकब मैत्यु <i>बनाम</i> पंजाब राज्य, 2005 सु.को. में।	
	(4) मुन्ना बनाम राज्य, 2005 सु.को. में।	
	IH_A] 20	[Contd

	•	•	
62	"A" with intortion of causing the de exposes him in a desert place. He of the Indian Penal Code, 1860		
	(1) Section 317	(2) Section 307	
	(3) Section 304 ''अ'' एक 12 वर्ष से कम आयु के बाल	(4) Section 511 क ''ब'' की मत्य के आशय से उ	से एक निर्जन
	स्थान में अरक्षित छोड़ देता है। भारतीय अन्तर्गत उसका उत्तरदायित्व होगा	दण्ड संहिता 1860 की निम्न में से	किस धारा के
•	(1) धारा 317 में	(2) धारा 307 में	
•	(3) धारा 304 में	(4) धारा 511 में	
63	Which of the following statement wand abduction under Indian Penal (1) There can not be abduction (2) There can be kidnapping of (3) There can not be kidnapping (4) There can not be abduction भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन व्य	Code 1860 is correct of a abducted person a abducted person g of a kidnapped person of a kidnapped person	
	में से कौन-सा कथन सही है		
	(1) एक अपहरण वाले का अपहरण	_	
	(2) एक अपहरण वाले व्यक्ति का व्य		
	(3) एक व्यपहरण वाले व्यक्ति का व्य (4) एक व्यपहरण वाले का अपहरण		. * *
64	From which of the following per section 108 of the Code of Crimina (1) Vagarant and suspected pers (2) Habitual offenders	al Procedures 1973, can not be	
	(3) Accused of an offence	our matter	
	(4) Persons disseminating sedition दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 108 में से किस से नहीं की जा सकती		की माँग निम्न
	(1) आवारागर्द एवम् संदेहास्पद व्यक्ति	ायों से	
	(2) आदतन अपराधियों से	•	<i>:</i>
. •	(3) एक अपराध के अभियुक्त से	············ <del>*</del> •	
	(4) ऐसे व्यक्ति से जो राजद्रीह की स	ामग्रा प्रचारित करत हा	
65	Which provision of the Code of presiding officer to dispense with the time of recording of statemen	the personal attendance of an t of witnesses?	
	<ol> <li>Section 299</li> <li>Section 205</li> </ol>	(2) Section 273 (4) Section 285	•
	दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी ध वह साक्षियों के बयानों को दर्ज करने के	गरा पीठासीन अधिकांरी को अधिक	
	दे सकता है ? (1) धारा 299	(2) धारा 273	
	(3) धारा 205	(4) धारा 285	
		• •	_

21

HHHH\_A]

[Contd...

66	In a summon case the Magistrate can stop the proceedings at any stage
	without pronouncing judgement. This has been provided under which section
	of the Code of Criminal Procedure 1973 (1) Section 258 (2) Section 257
	(1) Section 268
	पार कार्य में कैनियर निर्णय सनाये जाने से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर कार्यवाही को रोक
•	सकता है। इसका प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस धारा में किया गया है
•	(A) (TIT 252 II
	(1) WICE 250 T
	(3)
67	A driving license issued under Motor Vehicles Act, 1988 by the R.T.O of
0,	District Jaipur (Rajasthan) will be effective in
	(1) the district of Jaipur
•	(2) all districts of State of Rajasthan
	(3) all adjoinings State of Rajasthan
	(4) throughout the India
	मोटरयान को चलाने की चालन-अनुज्ञप्ति, जो राजस्थान के जयपुर जिले के परिवहन
	अधिकारी ने मोटरयान अधिनियम 1988 में जारी की है, कहां कहां प्रभावी रहेगी
•	(1) सारे जयपुर जिले के क्षेत्र में
	(2) राजस्थान राज्य के सभी जिलों के क्षेत्र में
	(3) राजस्थान राज्य के सभी समीपवर्ती राज्यों के क्षेत्र में
. '	(4) पूरे भारत में
68	Who of the following is not eligible to be appointed as member of claims
00	tribunal under Motor Vehicles Act, 1988 ?
	(1) High Court Judge
	(2) Supreme Court Judge
	(3) Session Judge
	(4) Person eligible for appointment as session Judge
	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत स्थापित दावा अधिकरण में निम्न में से किसे सदस्य
	नियुक्त नहीं किया जा सकता ?ू
	(1) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
	(2) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
	(3) सत्र न्यायाधीश
	(4) सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता रखने वाला व्यक्ति
69	Who of the following is competent to disqualify from holding a driving
	license or revoke such license under Motor Vehicles Act, 1988 namely?
	(1) Licensing authority (2) Court
	(3) Governor and President (4) Licensing authority and court
	निम्न में कौन-सा अधिकारी या प्राधिकारी चालन अनुज्ञाप्त धारण करने स निराहत या
	प्रतिसंह्त करने की शक्ति मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन रखता है ?
	(1) अनुपालन अधिकारी (2) न्यायायल
-	(3) राज्यपाल या राष्ट्रपति (4) अनुपालन अधिकारी व न्यायालय
	FContd.
H	HHH_A] 22 [Contu
	$\cdot \cdot$

- When any person is injured or property of a third party is damaged as a result of an accident the duty of the driver, according to Section of 134 Motor Vehicles Act, 1988 is
  - (1) firstly to inform to the police about the accident
  - (2) To take the injured person to nearest hospital for medical treatment
  - (3) To inform to the family members or relative of the victim of accident
  - (4) To take injured immediately for medical help to nearest hospital or registered medical practitioner and then inform to police about the accident

जब किसी व्यक्ति को मोटरयान की दुर्घटना के कारण क्षति होती है या पर-व्यक्ति (third party) की सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है, तो मोटरयान के ड्राईवर का मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 134 के अनुसार कर्तव्य है

- सर्व प्रथम उस दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचना देने का।
- (2) आहत व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा व्यवसायी या अस्पताल में चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का।
- (3) दुर्घटना से आहत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारो को सूचना देने का।
- (4) आहत व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा व्यवसायी या अस्पताल, चिकित्सीय सहायता प्राप्त कराने तथा पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचना देने का।
- 71 The principle of "Liability without fault" has been recognized under Motor Vehicles Act, 1988, under
  - (1) Section 134

(2) Section 140 and 141

(3) Section 140

(4) Section 135

''त्रुटि के बिना दायित्व'' के सिद्धांत को मोटरयान अधिनियम 1988 की निम्न में किस धारा में समाहित किया गया है

·(1) धारा 134 में

(2) धारा 140 व धारा 141 में

(3) धारा 140 में

- (4) धारा 135 में
- 72 Who may make an application for claim for compensation arising out of an accident under Motor Vehicles Act, 1988
  - (1) Victim of the accident
  - (2) His/her family members or relatives
  - (3) Victim of accident, owner of damaged property, legal representative of the deceased; duly authorized agent by the victim.
  - (4) Any member of the public in public interest मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन निर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा किया जा सकेगा
  - (1) दुर्घटना से आहत व्यक्ति के द्वारा
  - (2) उसके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के द्वारा
  - (3) दुर्घटना से आहत व्यक्ति, क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी, दुर्घटना से मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि, आहत व्यक्ति के द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के द्वारा
  - (4) जनता के किसी भी सदस्य द्वारा जन हित में

- An adulterated food item may also be get analyzed by whom of the following under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 namely
  - (1) by the food Inspector and purchaser of any article of food as well as by recognized Consumer Association
  - (2) by the purchaser of any article of food
  - (3) by the recognized Consumer Association.
  - (4) by the distributor and sole selling agent of such food stuff एक अपिमिश्रित खाद्य पदार्थ का विश्लेषण निम्न में किसके द्वारा खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधिन कराया जा सकेगा
  - (1) खाद्य निरीक्षक, खाद्य पदार्थ के क्रेता तथा मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम के द्वारा
  - (2) खाद्य पदार्थ के क्रेता के द्वारा
  - (3) मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम के द्वारा
  - (4) खाद्य पदार्थ के वितरक या अभिकर्ता द्वारा
- 74 Enhanced punishment for offences may be awarded to an accused person under Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 where
  - (1) he committed or abetted or conspired any offence under this Act
  - (2) he has been acquitted once, but abets another person to commit an offence
  - (3) he attempted but could not become successful earlier and subsequently attempt to commit offence under this Act
  - (4) he has been convicted of commission of the offence or attempt or conspiracy or abetment, and again commits or attempt, or conspire or abets the commission of offence under the Act

स्वायक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अभियुक्त को अपराध के लिए इस अधिनियम में वर्धित दण्ड दिया जायेगा जहाँ

- (1) वह व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है, षडयन्त्र, दुष्प्रेरण या प्रयत्न करता है।
- (2) वह एक बार दोषमुक्त हो गया है किन्तु पुन:दुष्प्रेरित करता है।
- (3) उसने पूर्व में प्रयत्न किया था किन्तु सफल नहीं हो पाया था परन्तु पुनः इस अधिनियम में अपराध करने का प्रयत्न करता है॥
- (4) वह इस अधिनियम में अपराध करने या प्रयत्न, या दुष्प्रेरण हेतु दोषसिद्धि किया जा चुका था, पुनः अपराध करता है, षडयन्त्र में सम्मिलत, दुष्प्रेरण या प्रयत्न करता है।
- Under the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1885, even death penalty may be imposed on subsequent conviction if the opium seized is above 10 K.G., Heroin about 1 K.G. and cocaine 500 grams under which of the following sections
  - (1) Section 31

(2) Section 32

(3) Section 32-A, B

(4) Section 31-A

स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की निम्न में किस धारा के अनुसार एक सिद्ध दोष अभियुंक्त को पुनः अपराध करने पर मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है जब उसके पास अफीन 10 किलो, हेरोईन 1 किलो तथा कोकीन 500 ग्राम आदी हो

(1) धारा 31 में

(2) धारा 32 में

(3) धारा 32 क-ख में

(4) धारा 31 क में

- Neglect of duties by a public servant is punishable with 6 months to 1 year imprisonment under
  - (1) Narcotic Drugs And Psychotropic Act, 1985
  - (2) Motor Vehicle Act, 1988
  - (3) Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities)
    Act, 1989
  - (4) Food Safety and Standard Act, 2006 एक लोक सेवक के द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन की उपेक्षा पर 6 मास से 1 वर्ष तक कारवास, निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दिया जा सकता है
  - (1) स्वापक औषधी मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
  - (2) मोटरयान अधिनियम, 1988
  - (3) अनुसूचित जाति जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
  - (4) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- 77 State Governments have power to imposed collective fines also on the violator of laws, under
  - (1) Indian Police Act, 1861
  - (2) Code of Criminal Procedure 1973-
  - (3) Narcotic Drugs and Psychotropic Act, 1985
  - (4) Scheduled caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

राज्य सरकारों को विधि का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त या अभियुक्तों पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है

- (1) भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में
- (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में
- (3) स्वायक औषधि एवम् मनः प्रभावी अधिनियम 1985 में
- (4) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में
- 78 A person carrying unauthorized arms or ammunition may be arrested under Arms Act, 1959 by
  - (1) A police officer
  - (2) A magistrate
  - (3) A private person and public servant
  - (4) A police officer and Magistrate आयुध अधिनियम 1959 के अधीन किसी व्यक्ति को जो अनाधिकृत रूप से आयुध या हथियार ले जा रहा है निम्न में से कौन गिरफतार कर सकता है
  - (1) कोई पुलिस अधिकारी
  - (2) कोई मैजिस्ट्रेट
  - (3) कोई निजी व्यक्ति व कोई भी लोक सेवक
  - (4) कोई पुलिस अधिकारी तथा कोई मैजिस्ट्रेट

	•	·
79	Under what provision of law ever Arms Act, 1959 is punishable	en secret contravention of provisions of
	(1) Section 31	(2) Society 20
	(3) Section 30	<ul><li>(2) Seciton 32</li><li>(4) Section 26</li></ul>
		प्रत्यक्ष ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तथा गोपनीय तरीके
	से उल्लंघन भी निम्न में किस प्रावधान	के अधीन दण्डनीय है
	(1) धारा 31 में	(2) धारा 32 में
	(3) धारा 30 में	(4) धारा 26 में
. 80	may be preferred by the aggrieved	on 9-A of the Rajasthan Excise Act 1950 person before
	<ul><li>(1) The Divisional Commissione</li><li>(2) The Session Court</li></ul>	r and Commissioner of Excise
	(3) The Commissioner of Excise	
	(4) The High Court of Rajasthan	
	राजस्थान आबकारी अधिनियम 1050 की	' धारा 9-क के अधीन व पुनरीक्षण निम्न में से
	किस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा	पारा ५-फ के अधान व पुनराक्षण निम्न में स
		। आयुक्त का
	(3) आबकारी आयुक्त को	
	(4) उद्य न्यायालय राजस्थान को	
81	Which one of the following is not	Ammunition under Arms Act 1959 ?
	(1) Fuses	(2) Friction tubes
	(3) Firearms	(4) Rockets
	निम्न में से कौन-सा आयुध अधिनियम 1	959 में गोला बारूट नहीं है ?
	(1) प्यूजेज	(2) घर्षण ट्यूबस
	(3) आग्नेयास्त्र	
		(4) रॉकेट्स
82	Which provision of Arms Act, 1959	prohibits the sale or transfer of firearms
	not bearing identification marks?	· · · · · ·
	(1) Section 6	(2) Section 7
	(3) - Section 8	(4) Section 9
	जापुव जावानवम्, 1959 का कान-सा धा	रा ऐसे आग्नेयास्त्र का हस्तान्तरण और बेचान
	का प्रातबान्धत करता ह जिन पर पहचान	चिह्न न लगे हो
	(1) धारा 6	(2) धारा 7
	(3) धारा 8	(4) धारा 9
83	The licensing methodic -11	
03	Act 1050 shall grant the 11-	g licence under section 3 of the Arms
	Act, 1959 shall grant the licence for (1) three years	
	(3) one year	(2) five years
		(4) two years
	समय तक के लिये स्वीकार किया जाता है	ईसेन्सिग अधिकारी द्वारा जारी लाईसेंस कितने
	(1) तीन वर्ष	(2) पाँच वर्ष
•	(3) एक वर्ष	(4) दो वर्ष

84	On demand by any police officer the paddress or gives false name and address been provided by the Arms Act, 1959 (1) Section 19 (1) (3) Section 19 (3) पुलिस अधिकारी के कहने पर कोई व्यक्ति अ अथवा गलत नाम व पता बताता है तो वह ए है, इसका प्रावधान आयुध अधिनियम 1959	ss such officer may arrest him, it has under (2) Section 19 (2) (4) Section 20 पना नाम व पता बताने से इन्कार करता है पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता
	(1) धारा 19 (1) में (3) धारा 19 (3) में	(2) धारा 19 (2) में (4) धारा 20 में
•	(3) 41(13) (3) 4	(4) 41(1 20 4
85	Search and seizure under the Arms Ac (1) Magistrate (2) Superintendent of Police (3) Officer Incharge of the Police St (4) Superintendent of C.B.I. निम्न में से किस एक के द्वारा आयुध अधिनिक् जा सकती है ? (1) मैजिस्ट्रेट द्वारा (3) थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा	ation
86	A person who not being a member of S forces a member of Scheduled Caste to shall be punishable with imprisonment (1) not less than 1 year (3) not less than 2 year एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उसका घर अथवा रहवास की जगह छोड़ने सजा का प्रावधान है (1) कम से कम एक वर्ष की (3) दो वर्ष से कम नहीं	leave his house or place of residence, for a term : (2) not less than 6 months (4) not less than 3 year का नहीं है वह, अनुसूचित जाति के व्यक्ति
87	A public servant not being a member Tribes willfully neglects his duties required the Act, shall be punishable with imprisonless than (1) 3 months (3) 6 months एक लोक अधिकारी जो अनुसूचित जाति एवं अधिनियम के तहत प्रदत्त दायित्व का निर्वहन कम कितनी सजा हो सकती है (1) तीन महीने (3) छः महीने	uired to be performed by him under comment for a term which shall be not  (2) 1 month (4) 1 year जन जाति का नहीं है जानबूझ कर इस
ннг	IH_A] 27	[Contd
	_ · _ · _ ·	Contam

- Provisions of section 438 of Criminal Procedure Code, 1973 will not be applicable to persons committing offence under the Act. This has been provided by which section of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989
  - (1) Section 17

(2) Section 18

(3) Section 19

(4) Section 16

अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के तहत अपराध करता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के प्रावधान लागू नहीं होगी, का प्रावधान किस धारा के तहत किया गया है

(1) धारा 17

(2) धारा 18

(3) धारा 19

- (4) धारा 16
- Any person contravening an order of the special court made under section 10 of S.C. and S.T. (Prevention of Atrocities) Act, 1989 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to
  - (1) one year and with fine
  - (2) with fine only up to ₹ 10,000/-
  - (3) one year or fine up to ₹ 20,000/-
  - (4) one year only

कोई भी व्यक्ति जो विशिष्ट न्यांयालय के द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 10 के तहत दिये गये आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे कितने समय तक की सजा दी जा सकती है

- (1) एक वर्ष एवं जुर्माना
- (2) 10,000 ₹ का जुर्माना मात्र
- (3) एक वर्ष की सजा या 20,000 ₹ का जुर्माना
- (4) मात्र एक वर्ष की सजा
- 90 Which one of the following is not the duty of Government even while implementing effectively the provisions of S.C. and S.T. (Prevention of Atrocities) Act, 1989?
  - (1) The provision for legal aid
  - (2) Maintenance of expenses to witnesses
  - (3) Economic and Social rehabilitation
  - (4) To open the school in the area

निम्न में से कौन-सा राज्य के दायित्व की श्रेणी में नहीं आता यद्यपि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 को प्रभावी ढंग से लागू करना राज्य का दायित्व है

- (1) विधिक सहायता का प्रावधान
- (2) गवाहों के रखरखाव का खर्चा
- (3) सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास
- (4) इलाके में स्कूल खोलना

91	Excisable goods found in the possession of the one of the following will be presumed to be in the possession of the person according to Rajasthan Excise Act, 1950  (1) if found in the possession of his wife  (2) if found in the possession of his clerk  (3) if found in the possession of his servant
1.	(4) all the above राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार यदि आबकारी योग्य वस्तु अगर निम्न में से किसी एक के कब्जे से प्राप्त होती है तो यह समझा जायेगा कि वह उस व्यक्ति के ही कब्जे में थी अगर वह वस्तु :
	(1) उसकी पत्नी के कब्जे से मिली हो (2) उसके लिपिक के कब्जे से मिली हो (3) उसके नौकर के कब्जें से मिली हो (4) उपरोक्त सभी
	The period of limitation for filing an appeal against the order of excise commissioner under Rajasthan Excise Act, 1950 is (1) 30 days (2) 45 days (3) 60 days (4) 90 days आबकारी कमिश्नर के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में समय सीमा है: (1) 30 दिन (2) 45 दिन (3) 60 दिन (4) 90 दिन
93	Which one of the following is not a condition which can be imposed by State Government for transport and export of excisable goods, under Rajasthan Excise Act, 1950, unless?  (1) fee fixed under section 28 is paid (2) undertaking for payment of fee under section 28 has been given (3) payment made to the manufacturer (4) special permission from State Govt. has been taken राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत आबकारी योग्य वस्तु के निर्यात और

परिवहन के लिये राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली निम्न में से कौन-सी शर्त नहीं लगाई जा सकती ?

धारा 28 के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क जमा करवाना (1)

धारा 28 के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क जमा करवाने का बंधक पत्र दिया जाना न

उत्पादक को पूरा भुगतान करना (3)

- राज्य सरकार का विशेष अनुमति पत्र प्राप्त किया जाना
- 94 Control of packaging and labeling of food is done under

The copy Right Act 1957 (1)

(2) The Consumer Protection Act, 1986

(3) The Commercial Documents Evidence Act, 1939

The Food Safety and Standards Act, 2006

खाद्यों के पैकैजिंग व लेबल लगाने की क्रिया को नियन्त्रण किया जाता है

- प्रतिलिप्यधिकार (कापीराइट) अधिनियम, 1957 में (1)
- (2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में
- व्यापारिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम, 1939 में
- खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 में

- There should be a "Food Analyst", to check, examine, determine and decide the quality, safety, hygienic conditions of any food or food-items. Hence, the provision of a Food Analyst, has been made under
  - (1) Consumer Protection Act, 1986
  - (2) Prevention of Food Adulteration Act, 1954
  - (3) Indian Penal Code, 1860
  - (4) Food Safety and Standards Act, 2006

खाद्य की मानक, सुरक्षा, स्वास्थ्यकर दशाओं का परीक्षण, निरीक्षण व निर्णय करने हेतु एक खाद्य विश्लेषक होगा । अतः खाद्य विश्लेषक का प्रावधान किया गया है ?

- (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में
- (2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में
- (3) भारतीय दण्ड संहिता 1860 में
- (4) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में
- 96 Section 16 of Excise Act, 1950 prescribes the list of acts which are prohibited. The provisions of punishment for their violation have been made under
  - (1) Section 54

(2) Section 58

(3) Section 60

(4) Section 58 (a)

आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 16 उन कृत्यों का वर्णन करती है जो निषिद्ध है। इनके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान निम्न में से किस धारा में किया गया है ?

(1) धारा 54 में

(2) धारा 58 में

(3) धारा 60 में

(4) धारा 58 (a) में

- 97 Punishment for giving false information has been made punishable under
  - (1) Section 177 of Indian Penal Code, 1860
  - (2) Prevention of Food Adulteration Act, 1954
  - (3) Section 61 of Food Safety and Standards Act, 2006
  - (4) Section 177 Indian Penal Code, 1860 section 177 as well as, under section 61 of Food Safety and Standards Act, 2006

मिथ्या सूचना देना दण्डित किया गया है ?

- (1) भारतीय दण्डूं संहिता 1860 की धारा 177 में
- (2) खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में
- (3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 61 में
- (4) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 व खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 61 में

- 98 Enhanced punishment may be awarded for commission of a crime by a person under
  - (1) Section 75 of the Indian Penal Code, 1860
  - (2) Prevention of Food Adulteration Act, 1954, under section 21
  - (3) Food Safety and Standards Act, 2006, under section 79
  - (4) All the above Acts.

किसी व्यक्ति के द्वारा किये गये अपराध पर वर्द्धित (Enhanced) दण्ड निम्न में किस धारा के अन्तर्गत अधिरोपित किया जा सकता है

- (1) धारा 75 भारतीय दण्ड संहिता 1860 में
- (2) खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 21 में
- (3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 79 में
- (4) उपरोक्त सभी में
- There is no need of physical connection between the goods and person charged under Narcotic Drugs And Psychotropic Subastance Act, 1985. It is sufficient if it is proved that he was involved in illegal importation of goods, he would be guilty of the offence. This was laid down by the Supreme Court in
  - (1) Radha Kishan Vs. Union of India, AIR 1965 SC 1072
  - (2) Narvir Chand Vs. State (1952) Cr L.J. 246
  - (3) Dr. Pratap Singh Vs. Director of Enforcement, AIR 1985 SC 989
  - (4) Ali Mustafa Abdul Rehman Moosa Vs. State of Kerala, AIR 1995 SC 244 स्वापक औषधी मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन एक आरोपित अपराधी एवं सामग्री के बीच सीधा वास्तविक सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है। अगर यह साबित कर दिया जाय कि उक्त सामग्री में उनका हित निहित है तो वही पर्याप्त है, इस अपराध के लिये उसे सजा दिलाने के लिये उच्चतम न्यायालय ने यह किस वाद में प्रतिपादित किया
  - (1) राधा किशन *बनाम* भारत संघ, ए.आई.आर. 1965 सु.को. 1072
  - (2) नरवीर चन्द *बनाम* राज्य, (1952) क्रि.लॉ.ज. 246
  - (3) डॉ. प्रताप सिंह *बनाम* निर्देशक एनफोर्समेन्ट, ए.आई.आर. 1985 सु.को. 989
  - (4) अली मुस्तफा अब्दुल रहमान मूसा बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर 1995 सु.को. 244
- 100 The Provision that "narcotic drugs and psychotropic substance etc. not liable to distress or attachment" has been provided under which section of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985
  - (1) Section 12

(2) Section 13

(3) Section 11

(4) Section 14

''स्वापक औषधी एवं मन प्रभावी पदार्थ इत्यादि न तो कुर्क किये जा सकते हैं और न ही करवस्थ'' इसका प्रावधान स्वापक औषधी मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 की कौन-सी धारा के अन्तर्गत किया गया है ?

(1) धारा 12

(2) धारा 13

(3) धारा 11

(4) धारा 14

·

.

. •